बिहार, सरकार

<u>स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज</u>

(जिला पशुपालन कार्यालय)

<u>अल्पकालीन निविदा संख्या – 04</u>

उत्पादक / भंडारकर्त्ता / उप भंडारकर्त्ता / पंजीकृत थोक विक्रेता से बाढ़ / सुखाड़ सहाय्य कार्य के लिए भूसा / कुट्टी(पुआल) का सील बंद निविदा किशनगंज जिला के विभिन्न अंचल में वर्ष 2017–18 के लिए आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा प्रकाशन के 7 वें दिन (कार्य दिवस) शाम 5 बजे तक डाक या व्यक्तिगत रूप से जिला पशुपालन कार्यालय किशनगंज में निविदा प्राप्त किया जायेगा। निविदा को जिला पदाधिकारी किशनगंज की अध्यक्षता में जिला आपदा कमिटी के द्वारा निविदा प्राप्ति के अगले दिन 3.00 बजे दिन में खोला जायेगा।

निविदा की शर्त्ते जिला पशुपालन पदाधिकारी किशनगंज के सूचना पट्ट एवं विभागीय वेबसाईट <u>www.ahd.bih.nic.in</u> पर देखा जा सकता है। अग्रधन की राशि मो0 2000 / –(दो हजार) जिला पशुपालन पदाधिकारी,किशनगंज के नाम से बैंक ड्राफ्ट जो किशनगंज शाखा में भुगतेय होगा,जमा करना अनिवार्य है।

21/07/17

जिला पदाधिकारी

किशनगंज

निविदा की शर्त्ते

1. तकनिकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सील बंद लिफाफा में होगा जिस पर गेहूँ का भूसा/कुट्टी(पुआल) हेतु निविदा अंकित होगा।
2. तकनिकी निविदा में निम्नलिखित शर्त्ते होगी–
   (क) 2000/का बैंक ड्राफ्ट जो कि असफल निविदा दाता को वापस किया जा सकेगा।
   (ख उत्पादन,भंडारण,डीलरशिप, का प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
   (ग) ISI प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
   (घ) GST पंजीकरण प्रमााण पत्र की छाया प्रति। (वाणिज्यकार विभाग से)
   (ड) PAN कार्ड की छाया प्रति।
   (च) विगत तीन वर्षो की आयकार रिर्टन छाया प्रति।
   (छ) काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
   (ज) सामग्री का नमूना 500gm पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में सील बंद।
   (झ) सरकारी संस्था में आपूर्ति के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
   (ञ) वार्षिक टर्न ओभर (कम से कम 5 लाख वार्षिक)की छाया प्रति।
   (ट) सभी शर्त्ते मान्य होने संबंधी प्रमाण पत्र।
3. तकनिकी निविदा, निविदादाता या उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा। यदि वे उपस्थित नही होते है तो आपदा समिति द्वारा लिए गये निर्णय निविदादाता को मान्य होगा।
4. तकनिकी निविदा में सफल निविदा दाता का वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
5. आपदा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
6. वित्तीय निविदा में दर साफ–साफ लिखा होना चाहिए। कटिंग या ओभर राईटिंग मान्य नहीं होगा।
7. सामग्री की आपूर्ति किशनगंज जिलान्तर्गत विभिन्न अंचलों के पशु शिविर में की जायेगी, इसके लिए परिवहन मद में राशि अलग से देय नहीं होगा।
8. सफल निविदादाता का नाम एवं आपूर्ति दर आदि सभी प्रखण्ड के अंचलाधिकारी को भेजा जायेगा।
9. सफल निविदादाता को 7 दिनों (कार्य दिवस)के अंदर जिला पशुपालन पदाधिकारी से एक एकरारनामा करना होगा जिसमें निविदा की सभी शर्त्ते तथा आपदा समिति के निर्णय वर्णित होगें।
10. सभी अंचलों में निर्दिष्ट स्थान तक परिवहन के दौरान क्षति के लिए निविदादाता जिम्मेवार होगें।
11. भूसा सूखा कवक रहित उच्च गुणवत्ता का होगा और उत्पादन से तीन माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नमी 10% से अधिक नहीं होगी।(Annexure'A')
12. 15 दिनों के अंदर आपूर्ति नहीं करने पर कुल मुल्य का 5% दण्ड लगाया जायेगा जिसका निर्णय आपदा समिति द्वारा लिया जायेगा।
13. किसी भी स्तर पर निविदा रद्द किया जा सकता है या आवश्यकता नही पड़ने पर आपूर्ति आदेश रद्द किया जा सकता है।
14. शर्त्तो के अनुपालन में शिथिलता, आपूर्ति में देरी, अनियमिता या गुणवत्ता में कमी आदि की स्थिति में अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी/काली सूची में डाला जायेगा एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई किया जायेगा।
15. कोई भी विवाद होने पर आपदा समिति का निर्णय बाध्यकारी होगा।
16. सारी विवाद किशनगंज न्यायालय के दायरे में होगा।
17. भूसा के गुणवत्ता में संदेह होने पर गुणवत्ता जॉच कराई जा सकती है।
18. आपूर्ति आदेश आवश्यकतानुसार संबंधित अंचलाधिकारी के द्वारा दिया जायेगा जिसका भुगतान उनके द्वारा आपदा मद में प्राप्त आवंटन से किया जायेगा।
19. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा दिये गये दर अन्य जिलों में दिये गये दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Annexure'A'

SI.N0.	Item	Specification
1	Wheat Straw(Bhusa)	Moisture less than 10% Without Fungus
2	Paddy Straw (Kutti)	Moisture less than 10% Without Fungus

जिला पशुपालन पदाधिकारी
किशनगंज

अपर समा.
किशनगंज

जिला पदाधिकारी
किशनगंज